

दिनांक 02.07.2018 को प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ सम्पन्न मासिक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति:- संलग्न ।
2. निदेशक द्वारा प्रधान सचिव एवं सभी उपस्थित प्राचार्यों का बैठक में स्वागत किया गया। उन्होंने आए सभी हुए प्राचार्यों को अपने-अपने महाविद्यालयों से संबंधित एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देने हेतु कहा जिसमें महाविद्यालय के भवनों की स्थिति, शैक्षणिक कार्य, उपलब्धियों एवं समस्याओं के संबंध में बताया जाय। सभी प्राचार्यों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान कई विषयों पर गहन चर्चा हुई।

प्रधान सचिव ने कहा कि विगत कई वर्षों में विभाग द्वारा आधारभूत संरचना, व्याख्याता की नियुक्ति, प्रयोगशाला सुदृढीकरण एवं दी गई अन्य सुविधाओं के आलोक में अब यह आवश्यक है कि शैक्षणिक स्तरों में उत्तरोत्तर सुधार लाया जाए। इस हेतु यह आवश्यक है कि:-

1. सभी प्राचार्य अपने-अपने कॉलेज में चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों को शीघ्र अतिशीघ्र एन०बी०ए० मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम बनाए।
2. सभी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग framework का अध्ययन कर बिन्दुवार self-assessment (स्व आकलन) प्रतिवेदन 20 दिनों के अन्दर विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
3. self-assessment (स्व आकलन) प्रतिवेदन के आधार पर संस्थानों द्वारा NIRF रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना तैयार कर एक माह के अन्दर विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
4. सभी अभियंत्रण महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2019 की NIRF रैंकिंग में निश्चित रूप से भाग लिया जाएगा तथा इस हेतु ससमय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर on-line application देना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. संस्थान के self-assessment (स्व आकलन) प्रतिवेदन के आधार पर बिन्दुवार समीक्षा कर NIRF रैंकिंग में बेहतर अंक प्राप्त करने हेतु संस्थान एवं विभाग स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।
6. सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों में पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार छात्रों को संस्थान के शैक्षणिक, व्यवहारिक, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समितियों (bodies) से सम्बद्ध किया जाय तथा उनके व्यक्तित्व विकास हेतु खेल-कूद एवं ललित कलाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाय। निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग इस हेतु शीघ्र दिशा-निर्देश जारी करे।
7. सभी संस्थानों में शैक्षणिक परिणामों को सुधारने हेतु प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक लिखित परीक्षा ली जाए एवं इससे संबंधित अभिलेख ठीक से संघारित किए जाए।
8. सभी संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक थ्योरी एवं लैब/प्रयोगशाला के अलावा ट्यूटोरियल कक्षाएं भी लेना अनिवार्य रूप से प्रारंभ करे। ट्यूटोरियल कक्षाओं में 15 छात्र से ज्यादा नहीं होने चाहिए एवं

इनमें सभी छात्रों की शंकाएँ/दुविधाएँ दूर करने के अलावा उन्हें पाठ्यक्रम के बाहर के विषयों को समझाया जाय एवं प्रश्न हल करने के लिए दिए जाए।

9. सभी प्राचार्य प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षकों के साथ बैठक कर उनके विगत सप्ताह किए गए पठन पाठन, लैब/प्रयोगशाला, ट्यूटोरियल एवं पाठ्यक्रम के अन्यत्र की गई गतिविधियों की समीक्षा करे तथा अगामी सप्ताह के लिए आवश्यक निदेश दे। इस बैठक की कार्यवाही सप्ताहिक रूप से संबंधित गार्ड फाइल में रखना सुनिश्चित करे जिसे निरीक्षण के समय देखा जाएगा।
10. सभी संस्थानों के प्रयोगशालाओं एवं कर्मशालाओं की जिम्मेवारी संबंधित विषय के व्याख्याताओं को दी जाय। संबंधित विषय के व्याख्याताओं को इन प्रयोगशालाओं एवं कर्मशालाओं में अधिष्ठापित यंत्रों/संयंत्रों/उपकरणों/मशीनों को स्वयं चलाना आना चाहिए। इन प्रयोगशालाओं एवं कर्मशालाओं में अधिष्ठापित यंत्रों/संयंत्रों/ उपकरणों/मशीनों को कार्यकारी रखा जाय तथा जो मशीन अकार्यरत है उसे ठीक कर कार्यकारी बनाया जाय। सभी प्राचार्य इसे सुनिश्चित करे।
11. संस्थान में कार्यरत सभी व्याख्याता पठन पाठन कार्य से संबंधित एक डायरी एवं कोर्स फाइल संचारित करेंगे जिसमें प्रत्येक सप्ताह ली गई कक्षाओं का समय, अवधि, टौपिक एवं पढ़ाने हेतु उपयोग में लाए गए मॉडल, पावर प्वाइंट प्रस्तुति, लिए गए टेस्ट का प्रश्न पत्र, टेस्ट का मुल्यांकन, रेफरेंस मटेरियल किताबे/शोध पत्र आदि होना चाहिए। साथ ही जो छात्र उक्त विषय में कमजोर पाए गए हो उनके लिए ली गई अतिरिक्त कक्षाओं की तिथि/समय का भी उल्लेख होना चाहिए।
12. सभी शिक्षकों द्वारा अपने विषय से संबंधित शोध पत्र को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट एवं प्रमाणिक (यू0जी0सी0 द्वारा मान्य) पत्रिकाओं में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
13. सभी प्राचार्य भी अपने संस्थानों में प्रत्येक सप्ताह चार घंटों की क्लास लेना सुनिश्चित करे।
14. सभी शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय।
15. प्रत्येक संस्थान में विषयवार सेमिनारों का आयोजन किया जाय जिसमें लब्ध प्रतिष्ठ (renowned) वाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाय।
16. सभी तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक एवं अन्य शैक्षणिक (extra curriculur) क्रिया-कलापों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाय तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य शैक्षणिक क्रिया-कलापों में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाए। निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस हेतु शीघ्र दिशा निर्देश जारी करें।
17. सभी संस्थान में छात्रों के सॉफ्ट स्किल के विकास हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के कुशल युवा कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से चलाया जाय। इस हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई प्राचार्य सुनिश्चित करे और श्रम विभाग से प्राप्त प्रपत्र में सूचनाएँ भरकर 15 दिनों में विभाग को प्रेषित करें। निदेशक, तकनीकी शिक्षा इस हेतु नोडल पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्राचार्यों की एक प्रशिक्षण कार्यशाला इस माह की 30 तारीख से पहले आयोजित करे।

18. सभी संस्थान अपनी वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करने एवं वेबसाइट को गतिशील बनाने की कार्रवाई करे। वेबसाइट पर संस्थान द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय ।
19. सभी संस्थानों में अध्ययनरत सभी छात्रों को इंटरनेट राज्य के अन्दर अथवा बाहर कार्यरत उद्योगों, सरकारी विभागों, लोक उपक्रमों, सरकारी परियोजनाओं में विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु छात्रों की संख्या के आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को छात्रों के इंटरनेट हेतु लक्ष्य विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।
20. विभाग सभी तकनीकी संस्थानों को सरकारी एवं गैर सरकारी परियोजनाओं में परामर्शी सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करे एवं इस हेतु संस्थानवार ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य निर्धारित करे।
21. संस्थानों के पूर्ण परिसर की साफ-सफाई एवं रख-रखाव वाह्य एजेंसियों से कराया जाय एवं वर्गशाला वर्गकक्ष तथा शौचलयों की सफाई नियमित रूप से की जाय।
22. सभी संस्थान के छात्रावासों के मेस एवं किचन की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही जहाँ छात्रावासों में मेस सुविधा नहीं है, वहाँ इसे सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु छात्रों के साथ बैठक कर शुल्क निर्धारित किया जाय तथा छात्रों के द्वारा ही पैसा देकर इसे चलाया जाय।
23. सभी संस्थान अपने छात्रों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित कराए तथा इस हेतु प्रशिक्षण एवं नियोजन कोषांग (Training & Placement Cell) गठित कर उसका प्रभार किसी वरीय शिक्षक को दें। साथ ही विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को वर्षभर अपने संस्थान में बुलाकर छात्रों के साथ वार्ता करवाना सुनिश्चित करे।
24. सभी संस्थानों के प्राचार्य को वाहन उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करे।
25. जिन संस्थानों में छात्रों के हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है एवं संस्थान शहर से दूर हैं तथा संस्थान के आस पास छात्रों के रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, ऐसे संस्थान, पूर्ण औचित्य के साथ बस सुविधा की आवश्यकता का आकलन कर अपना प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजें ।
26. जिन संस्थानों को कक्षाएँ लेने हेतु भवन की कमी है, परंतु जगह उपलब्ध है, वह इस संबंध में आकलन कर अपना प्रस्ताव फोटो सहित दे कि उन्हें तत्काल कितने कमरों/शौचालयों की आवश्यकता है।
27. जिन संस्थानों के भवन/छात्रावास बहुत पुराने हैं और जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है, वह इस संबंध में अपना प्रस्ताव फोटो सहित विभाग को शीघ्र भेजे।
28. सभी संस्थानों को प्रयोगशाला/कर्मशाला विकास हेतु जितनी राशि की आवश्यकता है वह इससे संबंधित प्रस्ताव, औचित्य स्पष्ट करते हुए, शीघ्र समर्पित करे ताकि उन्हें आवंटन दिया जा सके।
29. सभी संस्थानों में पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जाय । इस हेतु आवश्यक राशि की मांग संबंधी पत्र तुरंत विभाग को भेजा जाय। इसमें वर्गवार, विषयवार क्रय की जाने वाली पुस्तकों का लेखक सहित नाम का स्पष्ट उल्लेख हो।
30. सभी संस्थान में और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित जिलाधिकारी को विभाग द्वारा शीघ्र पत्र लिखा जाय।

31. सभी संस्थानों को इंटरनेट लीज्ड लाइन उपलब्ध कराने हेतु निदेशक के माध्यम से शीघ्र कार्रवाई की जाय।
32. सभी संस्थानों में बेहतर एवं प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय स्तर से उच्च कोटी की संस्थाओं को इम्पैनल करने हेतु कार्रवाई की जाय।
33. विभिन्न संस्थाओं में शिक्षकों अन्य कर्मियों की रिक्तियों को भरने हेतु शीघ्र कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय।
34. सभी संस्थान छात्रों के माध्यम से अपने संस्थान में साफ-सफाई, पौधा रोपण कार्य सुनिश्चित कराएं। साथ ही अपने संस्थान के पास के इलाको में यह कार्य करे।
35. सभी तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को नवोन्मेष प्रोजेक्ट बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा एक नवोन्मेष मार्गदशिका बनाकर शीघ्र सभी संस्थानों को भेजे।

(हरजोत कौर बम्हरा)
प्रधान सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक-

1746 पटना, दिनांक- 12.7.2018

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बिहार को अनुपालनार्थ प्रेषित।
निरीक्षण टिप्पणी में दिए गए निर्देशों का अनुपालन कर 15 दिनों में प्रतिवेदन समर्पित करें।

(हरजोत कौर बम्हरा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-

1746 पटना, दिनांक- 12.7.2018

प्रतिलिपि:- सभी पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरजोत कौर बम्हरा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-

1746 पटना, दिनांक- 12-7-2018

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हरजोत कौर बम्हरा)
प्रधान सचिव